11/09/25 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी। वादी ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया की उक्त प्रकरण मे वादी अपने वाद पत्र को स्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र के बिना किसी शर्त पर वापस करना चाहता है। क्योंकि वादी का उक्त वाद मे किसी प्रकार का हित शेष नही रहा है। इसलिये उक्त वाद का माननीय न्यायालय के समक्ष चलाये रखना का कोई औचित्य नही रहा है। इसलिये वाद को विड्रा करना चाहता है।

वकील वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वाद विड्रा का अवलोकन किया। वकील वादी। वादी बिना किसी शर्त पर वापस करना चाहता है। वादी की पहचान उनके अधिवक्ता श्री सत्यनारायण शर्मा ने की। प्रकरण के प्रतिवादी की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ। ऐसे मे वकील वादी एवं वादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र वाद विड्रा न्यायहित मे स्वीकार किया जाता है। वकील वादी का वाद विड्रा प्रार्थना पत्र स्वीकार होने से वादी का वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम होकर फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक आज दिनांक 11-9-2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
जबलपुर सदर जबलपुर